



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287868, फ़ैक्स : 0522-2287834
ई-मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:- /मु०अभि०/वा०-1/LMV-10/(2017-18) दिनांक/फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभागीय सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों हेतु एल०एम०वी०-10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा निम्नवत् अनुमन्य की जाती है:-

Category	Fixed Charge/month (Rs.)	Fixed Monthly Energy Charge (Rs.)
Class IV employees/Operating staff	175.00	195.00
Class III employees	205.00	245.00
JE & equivalent posts	280.00	460.00
AE & equivalent posts	305.00	605.00
EE & equivalent posts	325.00	645.00
SE/D.G.M. & equivalent posts	595.00	760.00
CE (I&II)/General Manager and above	650.00	880.00
Additional charge for using A.C. (April to Sep.)	Rs. 650.00 per month per AC	

एल०एम०वी०-10 श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजनों पर मीटर लगने की स्थिति में अनमीटर्ड संयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार रेट चार्ज का 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, तथा विद्युत कर 20 प्रतिशत (अनमीटर्ड संयोजन पर) के स्थान पर रेट चार्ज का 5 प्रतिशत देय होगा। अन्यथा अनमीटर्ड संयोजन पर विद्युत कर रेट चार्ज का 20 प्रतिशत देय होगा।

एल०एम०वी०-10 श्रेणी पर लागू उपरोक्तानुसार व्यवस्था की प्रभावी तिथि अन्य श्रेणियों की प्रभावी तिथि अर्थात् 09.12.2017 के समान ही होगी।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ०प्र० पा०का०लि०

(संबंधित वितरण निगम में लागू रेगुलेटरी सरचार्ज मा० नियामक आयोग के आदेश के अनुसार देय होगा)।

संख्या: 58 -मु०अभि/वा०-1/LMV-10/(2017-18) तददिनांक 7-2-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (वाणिज्य) पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता (वेब) उ०प्र० पावर कारपोरेशन को आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(ए०के० पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा